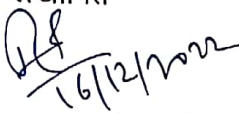
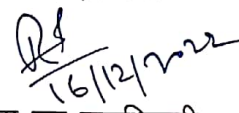
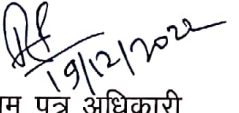
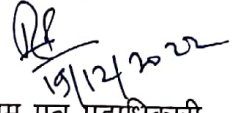


दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
16.12.2022	अभिलेख उपस्थापित। सटिफिकेट देनदार को Bihar & Orissa Public Demand Recovery Act. 1914 के Section-7 के तहत Form-3 में पुनः नोटिस निर्गत करें। सुनवाई की अगली तारीख दिनांक - 19/12/2022 निर्धारित की जाती है। अभिलेख दिनांक - 19/12/2022 को उपस्थापित करें। लेखापित  नीलाम पत्र अधिकारी खूँटपानी। लेखापित एवं संशोधित  नीलाम पत्र पदाधिकारी खूँटपानी।	
19.12.2022	अभिलेख उपस्थापित। Section-7 के तहत निर्गत नोटिस का तामिला प्राप्त है। सटिफिकेट देनदार की ओर से 2637/- रूपया जो प्रखण्ड कार्यालय खूँटपानी में NR No - 1696083 दिनांक - 19.12.2022 जमा करने संबंधित रसीद प्रस्तुत किया गया है। अधियाचित राशि के जमा होने के पश्चात् Bihar & Orissa Public Demand Recovery Act. 1914 के Section 53 (I) के तहत नीलाम नत्र वाद की कारवाई समाप्त की जाती है। पंजी - 10 में इसे दर्ज करें। लेखापित  नीलाम पत्र अधिकारी खूँटपानी। लेखापित एवं संशोधित  नीलाम पत्र पदाधिकारी खूँटपानी।	